



उत्तर प्रदेश पुलिस

सत्यमेव जयते

TOMMY
98
Z.F.

13 08 2019



13 08 2019



प्रेस नोट जनपद फतेहगढ़ दिनांक 13.08.2019

उड़ीसा प्रान्त के अन्तराज्यीय 4 शातिर लूटेरे व 02 महिलाओं सहित गिरफ्तार राजस्थान, बिहार, उ०प्र० की कई घटनाओं का खुलाशा, भारी मात्रा में सोने चॉदी के जेवरात बरामद शातिर लूटेरे मुरली दास पर होशंगाबाद म०प्र० से है 10 हजार का पुरूस्कार घोषित। स्वाट टीम फर्रुखाबाद द्वारा की गयी बडी कार्यवाही।

थाना कोतवाली फर्रुखाबा व मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ क्षेत्रान्तगत सर्राफा व्यापारियों के साथ सर्राफा व्यापारियों के साथ घटित हुई घटनाओं में सर्राफा व्यवसायी के बैग गायब होने के सम्बन्ध में कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र में दिनांक 25.07.19 को श्री दीपक वर्मा सुनार के साथ दुकान बन्द करके घर जाते समय एक दुकान पर रुकने पर डिग्गी तोडकर बैग चुरा ले जाने के सम्बन्ध में मु०अ०स० 0707/19 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली फर्रुखाबाद में पंजीकृत किया गया व थाना मऊदरवाजा क्षेत्रान्तगत जसमई दरवाजा पर हिमान्यु वर्मा जब सुबह अपनी दुकान खोलने गये तो दुकान पर गन्दगी लगी होने के कारण बैग दुकान पर रखकर पानी लेने चले इतने में बैग चोरी होने के सम्बन्ध में मु०अ०स० 212/19 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। दोनों घटनायें सर्राफा व्यवसायी के साथ घटित होने के कारण व्यापारियों रोष व्याप्त था जिसकी संवेदनशीलता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ डा० अनिल कुमार मिश्र द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद/नगर श्री राजवीर सिंह के निर्देशन में प्र०नि० फर्रुखाबाद श्री संजय कुमार मिश्रा व प्रभारी स्वाट टीम श्री कुलदीप दीक्षित को घटनाओं के अनावरण हेतु लगाया गया था।

घटनाओं में लगायी गयी उपरोक्त टीमों द्वारा दिन रात एक अथक प्रयास से स्वाट टीम प्रभारी श्री कुलदीप दीक्षित को मुखविर की सूचना पर मय स्वाट टीम व फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस को दिनांक 13.08.2019 को 04 शातिर अपराधियों को 02 महिलाओं सहित घटनाओं में प्रयुक्त मो०सा० पल्सर 220 सीसी व होन्डा व असलाह कारतूस व सोने चॉदी के जेवरात सहित गिरफ्तार करने में सफलता मिली गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ में उपरोक्त सर्राफा व्यापारियों के साथ व उ०प्र० के जनपद कानपुर नगर की 01 व जनपद उन्नाव की 01 जनपद लखीमपुर खीरी की 03 शाहजहाँपुर में 01 व आगरा में 02 घटनायें व राजस्थान के जिला बूंदी में 01 सवाई माधोपुर में 02 भरतपुर में 2 जयपुर में 01 कोटा में 01 कुल 17 घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया है व अभि० डेल्टा मुरली उर्फ मुरलीदार द्वारा अपने ईटारसी म०प्र० व जनपद इटावा व बरेली की घटनाओं में वांछित होना बताया गया है इसके अलावा पटना बिहार में घटना कारित करना बताया सम्बन्धित से जानकारी कर डाटा प्राप्त किया जा रहा है।

● गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण—

- 1— अर्जुन दास पुत्र नागेश्वर दास निवासी पुर्वा कोट थाना कुरई जनपद जाजपुर उड़ीसा।
 - 2— मुरलीदास उर्फ गेन्टा मुरली पुत्र नागेश्वर दास उर्फ गेन्टा रेडी निवासी पुर्वा कोट थाना कुरई जनपद जाजपुर उड़ीसा।
- हालपता— मुन्डमाल डायसायल जिला जाजपुर उड़ीसा।
- 3— माइकल साबन पुत्र माइकल रंगाराब निवासी कोट थाना कुरई जनपद जाजपुर उड़ीसा।
 - 4— कावाडी दुलाल पुत्र कावाडी चिन्ना निवासी कोट थाना कुरई जनपद जाजपुर उड़ीसा।
 - 5— श्रीमती मारया मुरली पत्नी मुरलीदास उर्फ गेन्टा मुरली निवासी पुर्वा कोट थाना कुरई जनपद जाजपुर उड़ीसा।
 - 6— श्रीमती पूजा पत्नी अर्जुन दास निवासी पुर्वा कोट थाना कुरई जनपद जाजपुर उड़ीसा।

● बरामदगी

- 1— जेवरात पीली धातु— बजन करीब 200 ग्राम कुल कीमती करीब 7 लाख 60 हजार रूपया।
- 2— चॉदी के जेवरात— बजन करीब 4 कि०ग्रा० कुल कीमती करीब 1 लाख 80 हजार रूपया।
- 3— घटना में प्रयुक्त मो०सा० पल्सर रंग काला लाल न० आर०जे० 20 एच०बी० 3258 कीमती करीब 1 लाख 40 हजार रू०।
- 4— घटना में प्रयुक्त मो०सा० होन्डा सी०बी० ट्रैगर न० आर०जे० 25 एस०जे० 0715 कीमती करीब 1 लाख रूपया।
- 5— 02 अदद प्लायर लॉक तोडने के।
- 6— 02 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज।
- 7— 05 अदद कारतूस 315 बोर नाजायज।

कुल बरामदगी —करीब 12 लाख रूपये अनुमानित।

अनावरण अभियोगों का विवरण —

- 1— मु०अ०स० 707/19 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली फर्रुखाबाद।
- 2— मु०अ०स० 212/19 धारा 380 भादवि थाना मऊदरवाजा फर्रुखाबाद।
- 3— मु०अ०स० 399/19 धारा 379 भादवि विधनू जनपद कानपुर नगर।
- 4— मु०अ०स० 480/19 धारा 379 भादवि थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।
- 5— मु०अ०स० 817/19 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी।
- 6— मु०अ०स० 410/19 धारा 380 भादवि थाना गोला जनपद लखीमपुर खीरी।
- 7— मु०अ०स० 336/19 धारा 392 भादवि थाना फरधान जनपद लखीपुरखीरी।
- 8— मु०अ०स० 170/19 धारा 392/34 भादवि थाना बूंदी जनपद बूंदी राजस्थान।
- 09— मु०अ०स० 124/19 धारा 380 भादवि थाना सवाई माधौपुर जनपद सवाई माधौपुर राजस्थान।
- 10— मु०अ०स० 226/19 धारा 380 भादवि झोटवाडा जनपद जयपुर पश्चिम राजस्थान।
- 11— मु०अ०स० 154/19 धारा 380 भादवि थाना सेवर भरतपुर राजस्थान।
- 13— मु०अ०स० 71/19 धारा 380 भादवि थाना उधोग नगर भरतपुर राजस्थान।
- 14— मु०अ०स० 328/19 धारा 379 भादवि थाना नदवई भरतपुर राजस्थान।

अन्य राज्यों के विभिन्न जनपदों जैसे उ०प्र० के आगरा, हरदोई, जनपद शॉहजहापुर, बरेली, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, सीतापुर, व राजस्थान के कोट, जोधपुर, धौलपुर व म०प्र० इटारसी व बिहार के पटना से घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है जहाँ गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने घटना करना बताया है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने गहन पूछताछ पर बताया कि हम लोग उड़ीसा प्रान्त के रहने वाले है हम सभी व हम लोगों के गाँव के लोग विभिन्न प्रान्तों में बड़ी-बड़ी मोटरसाईकिलों से घूम घूम कर सुनारों की दुकानों की रैकी कर भिन्न-भिन्न तरीकों से उनका ध्यान कहीं और भटकाकर या डिग्गी तोड़कर या बैग छीनकर या सुनारों की दुकान खोलते समय दुकानों के तालों में फेवी क्यूक डालकर व दुकानों के सामने गन्दगी डालकर जब दुकानदार बैग लिए होते तो उन्हें घुरा लेते है या दुकान बन्द करके घर जाते समय सूनसान इलाके में झपट्टा मारकर छीनकर भाग जाते है पूछताछ पर यह भी बताया कि हम लोग विभिन्न शहरों में जाकर वहाँ किराये पर कमरा लेकर रहते है जब दो-चार घटनायें कर लेते है तो वह शहर छोड़ देते है व माल लेकर कोई साथी जाकर उड़ीसा रख आता है। हम लोगों के पास अपनी स्वयं की मोटरसाईकिलें होती है जिन पर हम लोग गलत नम्बर डालकर घटनाओं को अंजाम देते है ताकि कोई नम्बर देख ले तो पकड़े न जा सके। अभियुक्तगणों द्वारा विभिन्न घटनाओं के बारे में बताया है जिसका विवरण निम्नवत है।

1- जनपद फर्रुखाबाद में 9.8.17 को रेलवे स्टेशन पर जसगई रोड पर सुबह दुकान खोलते समय एक सुनार की दुकान के बाहर गन्दगी लगा दी थी जिस पर दुकानदार गन्दगी साफ करने लगा जब व गन्दगी साफ करने के लिए पानी लेकर गया इसी बीच बैग उठाकर भाग आये थे।

2- जनपद फर्रुखाबाद में 15-20 दिवस पहले ओपो केयर के पास वाली गली में एक सुनार अपनी दुकान बन्द करके मोटर साईकिल बैग डिग्गी में रखकर चला फिर व एक कपडे की दुकान पर गाड़ी खड़ी करके कपडा खरीदने लगा इसी बीच डिग्गी तोड़कर बैग निकाल लिया था।

03- जनपद फतेहगढ में 10.15 दिन पहले स्टेशन से जसगई रोड पर हम लोगों ने अपने साथी मुरली साबन व दुलाल के साथ मिलकर एक सुनार की दुकान के सामने बिरिकट भिगांकर डाल दिया था जब दुकानदार दुकान खोलने आया तो वह दुकान खोलकर बैग दुकान में रखकर गन्दगी साफ करने के लिए पानी लेने गया इतने में हम लोग बैग उठाकर भाग गये थे। उस बैग में केवल दुकान के कागजात व डिब्बी आदि सामान था तो उसे आगे चलकर हम लोगों ने फेंक दिया था।

04- जनपद लखीमपुर खीरी में गोला में करीब एक डेढ माह पूव जब हम लोग लखीमपुर खीरी में रह रहे थे तो गोला मंदिर के पास शाम को गोला में एक दो शटर वाली दुकान पर एक सुनार दुकार बन्द कर रहा था उसने अपने दुकान का एक शटर बन्द कर दिया था जब वह दूसरा शटर बन्द कर रहा था तो हम लोग उसका बैग उठाकर भाग गये थे जिसमें करीब 100 ग्राम सोना व 02 जोडी पुरानी पायल व 10 हजार रूपया था इस घटना में मेरे साथ दोलाल, अर्जुन दास व मुरली था।

05- जनपद लखीमपुर खीरी में कस्बा खीरी से करीब 10 कि०मी० गोला रोड पर थाना था थाने के आगे दो आदमी चमडा बाला बैग लेकर जा रहा था तभी उसका बैग लेकर भाग गया था। जिसमें 50 ग्राम सोना था व 1कि०ग्रा० करीब चाँदी थी व 12000 रूपया था व एक दूध का डिब्बा था।

06- जनपद लखीमपुर खीरी में कस्बा में सुनार गली में दुकान बन्द करते समय घटना की थी जिसमें 3 कि०ग्रा० व जोडी कान के कुन्डल मिले थे।

07- जनपद कानपुर नगर में करीब एक माह पूर्व टैम्पो स्टेन्ड के पास एक सुनार अपनी दुकान खोल रहा था उसका बैग बाइक पर रखा था तभी मैं व दुलाल पल्सर मो०सा० से गये थे और बैग उठाकर आगे खडे अपने साथी सन्तोष पुत्र नागादास निवासी पुर्वा कोट व देवनाथ पुत्र दुर्गा नि० उपरोक्त को दे दिया था जिसमें करीब 30 ग्राम सोना व 4 कि०ग्रा० चाँदी व 7 लाख रूपया नकद था।

08- जब हम लोग लखीमपुर खीरी रह रहे थे तभी जनपद उन्नाव में गंगाघाट के पास करीब 15 दिवस पूर्व एक ज्वैलर्स अपनी दुकान बन्द कर रहा था और बैग अपने बगल में रखा था तभी बैग को दुलाल उठा लाया था और उसे हम अपनी 220 पल्सर मो०सा से लेकर भाग गये थे।

09- करीब 2 माह पहले जब हम लोग धौलपुर राजस्थान में किराये पर निवास कर रहे थे तभी जनपद आगरा में बडे बाजार में सुनार दुकान बन्द करके कुछ भूलने पर दुबारा दुकान खोला तथा मो०सा० रोड की दूसरी तरफ खड़ी कर दी उसके दुकान के अन्दर जाने पर मो०सा० की स्टील की डिग्गी तोड़कर हम लोगों ने उसका बैग उठा लिया था उस बैग में 4 ग्राम सोना व 3 कि०ग्रा० करीब चाँदी थी व 50 हजार रूपया नकद था।

10- जब हम लोग किराये का मकान लेकर धौलपुर में रह रहे थे करीब 2 माह पूर्व आगरा से करीब 10 किमी आगे धौलपुर की तरफ एक व्यक्ति पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकालकर स्कूटी से अपने घर कालौनी में गया था वहाँ स्कूटी बाहर खड़ी करके घर में चला गया बाहर खड़ी स्कूटी से लॉक तोड़कर पैसा निकाल लिया था जिसमें 1,200,000 हजार रूपया ही मिला था।

11- जब हम लोग जयपुर के डाबरा में किराये के मकान में रह रहे थे जयपुर (राजस्थान) करीब दो माह पूर्व ट्रान्सपोर्ट नगर से एक सुनार से मोटर साईकिल स्पेलेन्डर की डिग्गी तोड़कर जब वह सुनार लोहा खरीदने गया था तब बैग से करीब 100 ग्राम सोना 3 कि०ग्रा० चाँदी 32 हजार कैश ट्रान्सपोर्ट नगर से करीब 1 किमी स्थित दुकान के पास घटना की थी।

12- जब हम लोग जयपुर के डाबरा में किराये के मकान में रह रहे थे जयपुर राजस्थान करीब 2-3 माह पूर्व ट्रान्सपोर्ट नगर से आगरा रोड पर करीब 10-15 किमी आगे अन्दर गली में स्थित सुनार की दूकान के अन्दर रखे बैग घुरा लिया था जिसमें करीब 7-8 कि०ग्रा०

चौदी व 1.50 ग्राम सोना नाक फूल आदि 25 हजार कैश मिला था यह घटना सुबह की है जब सुनार दुकान खोलकर पानी लेने गया था जिसके पास मो0सा0 थी।

13- जब हम लोग कोटा राजस्थान में रह रहे थे तब दिनांक 04.06.2019 को पत्नार मोटर साईकिलों से कोटा से बूंदी गये थे वहां एक सुनार अपनी दुकान बन्द करके रात 9 बजे लगभग स्कूटी के बीच में पैरो के पास बैग रखकर घर जा रहा था तभी हम लोगों अपनी मो0सा0 पत्नार लगाकर उसका बैग छीन लिया था उस बैग में करीब 8.50 लाख रुपया 3 कि0ग्र चांदी व थोडा सोना मिला था।

14- जब हम लोग कोटा राजस्थान में रह रहे थे तभी अन्तिम मई के महीने में बूंदी की घटना से 8-10 दिन पहले होल सेल को काम करने वाला सुनार जो दुकान दुकान फेरी करता था सराफा बाजार के पास शाम के समय मो0सा0 की डिग्गी तोड़कर बैग चुरा लिया था 8 किग्रा0 चांदी व 150000 रुपया कैश था।

15- सवाई माधौपुर राजस्थान - जयपुर से हम लोग सवाई माधौपुर आये स्टेशन के पास किराये का मकान लिया 12-13 दिन रुके सवाई माधौपुर में करवा से 5 कि0मी0 मोबाइल/सुनार दुकान मालिक अपनी मो0सा0 खडी करके किसी शादी में चला गया था उस मो0सा0 की डिग्गी तोड़कर बैग निकाल लिया था जिसमें 20-22 हजार कैश कान की वाली आदि थी व एक मोबाइल फोन मिला था कैश व गोल्ड निकालने के बाद बैग मोबाइल सहित कुछ दूरी पर फेंक दिया था।

16- सवाई माधौपुर राजस्थान - शहर बाजार में एक सुनार दुकानदार अपना बैग दुकान खोलकर अन्दर रख गया था तथा कुछ दूरी पर दूध लेने चला गया था वहां से जीन्स कपडे का बना बैग चोरी कर लिया था जिसमें चांदी को 1 कि0ग्र विस्कट 7 ग्राम गोल्ड व 27 हजार कैश मिला था।

17- भरतपुर राजस्थान में करीब 2-3 माह पूर्व भरतपुर शहर सराफा बाजार से रात्रि में मो0सा0 की डिग्गी तोड़कर उसमें रखा बैग चोरी कर लिया जिसमें 6.50 हजार कैश 200 सोना मिला था।

18- शाहजहाँपुर उ0प्र0 - एक डेढ वर्ष पूर्व शाहजहाँपुर स्टेशन से 1-2 कि0मी0 पूर्व सुनार दुकान पर गन्दगी फैला दी थी दुकान खोलने के बाद बैग रखकर सुनार बाल्टी लेकर पानी भरने चला गया था। उस समय रोबिन दास व गेन्टा मुरली काला बैग लेकर चला गया था। उस बैग में 1.500 सोना उसमें कान के टाप्स व अंगूठी आदि थी। व 7 कि0ग्र0 चांदी 25 हजार कैश

1- अभियुक्त मुरलीदास उर्फ गेन्टा मुरली का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 708/14 धारा 380/411/120 भादवि थाना चिरगांव जनपद झांसी।

2- मु0अ0स0 571/14 धारा 380/411/120 भादवि थाना प्रेमनगर जनपद झांसी।

3- मु0अ0स0 /14 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चिरगांव जनपद झांसी।

4- मु0अ0अ0 103/15 धारा 379/411 भादवि थाना फेन्डस कालौनी इटावा।

5- मु0अ0स0 96/19 धारा 392/412 भादवि थाना इटारसी जनपद होशंगाबाद म0प्र0(आई.0जी0 महोदय होशंगाबाद म0प्र0 से 10 हजार का ईनामी)

6- मु0अ0स0 707/19 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली फर्रुखाबाद।

7- मु0अ0स0 212 /19 धारा 380 भादवि थाना मऊदरवाजा फर्रुखाबाद।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त उडीसा के जाजपुर व बंगाल के बरदमान व उ0प्र0 के सीतापुर से जेल जाना बता रहा है जहाँ से आपराधिक इतिहास प्राप्त किया जा रहा है।

1- अर्जुन दास पुत्र नागेश्वर दास निवासी थाना कोरई जिला जाजपुर उडीसा दिनांक 12.07.19

1- मु0अ0स0 708/14 धारा 380/411/120 भादवि थाना चिरगांव जनपद झांसी।

2- मु0अ0स0 571/14 धारा 380/411/120 भादवि थाना प्रेमनगर जनपद झांसी।

3- मु0अ0स0 /14 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चिरगांव जनपद झांसी।

4- मु0अ0अ0 103/15 धारा 379/411 भादवि थाना फेन्डस कालौनी इटावा।

5- मु0अ0स0 707/19 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली फर्रुखाबाद।

6- मु0अ0स0 212 /19 धारा 380 भादवि थाना मऊदरवाजा फर्रुखाबाद।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त उडीसा के जाजपुर व बंगाल के उ0प्र0 के बरेली से जेल जाना बता रहा है जहाँ से आपराधिक इतिहास प्राप्त किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम - प्रथम टीम-

1- उ0नि0 श्री कुलदीप दीक्षित प्रभारी स्वाट टीम

1- हे0का0 राजवीर सिंह 2- का0 सचेन्द्र सिंह 3- का0 सुनील दुबे 4- का0 जतिन त्रिपाठी 5- का0 निशान्त कुमार 6- का0 अजय तोमर 7- का0 रबी कुमार 8- का0 अनुज तिवारी 9- का0 ललित कुमार 10- का0 उवेश कुमार 11- का0 नवनीत कुमार 12- का0 सुजीत सिंह 13- का0 चारु नरेन्द्र सिंह।

द्वितीय टीम -

1- उ0नि0 श्री महेश कुमार प्रभारी चौकी तिकौना फर्रुखाबाद 2- उ0नि0 श्री रामकेश प्रभारी चौकी आई0टी0आई फर्रु0।

3- का0 सुखवीर को0 फर्रुखाबाद 4- का0 अखलेश को0 फर्रुखाबाद 5- म0का0 ज्योति को0 फर्रु0।

पुलिस अधीक्षक फतेहगढ डा0 अनिल कुमार मिश्र द्वारा उक्त घटनाओं के अनावरण करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार व उच्चाधिकारियों से पुरस्कृत कराने की घोषणा की गयी।